

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 29/22 दिनांक 2/2/22
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 23 समय 2.15 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : मंगलवार दिनांक 01.02.2022 समय 12.25 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 29.01.2022
4. सूचना की किस्म : लिखित / मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 610 किलो मीटर
(ब) पता : तहसील कार्यालय अरथुना जिला बांसवाडा।
..... बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री दिनेश चन्द्र
(ब) पत्नी – श्री कोदर लाल यादव
(स) जन्म तिथि / वर्ष – 34 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय – मजदूरी
(छ) पता – गांव दवेला(दौलतपुरा) तहसील अरथुना जिला बांसवाडा
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री नागेन्द्र लाल पिता श्री वासुदेव खांट जाति भील उम्र 37 वर्ष निवासी हेरपाडा पोर्ट ओडवाडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
8. शिकायत / सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई / संलिपि सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ न्त्यां करें)
10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 3000/- रुपये
11. मर्ग सूचना / अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो –
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) – आरोपी श्री नागेन्द्र लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द्र यादव ने कृषि भुग्ति खाता संख्या नं० 219 पुरानी 181 के आराजी सर्वे नम्बर 3194 रकबा 0.15 हेक्टर में से रकबा 0.07 हेक्टर कृषि भुग्ति वाके केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा को क्य कर उसका पंजीयन दिनांक 08.07.2021 को उसकी पत्नि श्रीमती कोकिला देवी के नाम से कराया गया। उक्त भुग्ति का मौका मुआयन कर नपती करने एवं स्थुटेशन खोलने के एवज में पूर्व में 11000 रुपये ग्रहण करना एवं 3000 रुपये रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 31.01.2022 को सत्यापन कराया गया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 01.02.2022 को आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी को परिवादी श्री दिनेश चन्द्र से रिश्वत राशि 3 हजार रुपये लेते हुये रगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री नागेन्द्र लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

11

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बांसवाडा।

विषय:- कानुनी कार्यवाही कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं गांव दवेला(दौलतपुरा) पो. कोटडा ते. अरथुना जिला सवलाल ढोली उम्र सभी वयस्क से कृषि भुमि खेत जिसका खाता संख्या नई 219 पुरानी 181 के आराजी सर्व नम्बर 3194 रकबा 0.15 हैक्टर मे से रकबा 0.07 हैक्टर कृषि भुमि बाके केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना में स्थित होकर ग्राम केसरपुरा की किमत 27000/- रुपये अक्षरे बेचान लि थी जिसके लिए मैं प्रार्थी सम्बधित के नाम से ये कृषि भुमि है या नहीं इसका पता करने के लिए मैंने संबधित हल्का पटवारी केसरपुरा का श्री नगेन्द्र जी से सम्पर्क किया और भुमि कि नपती के लिए बुलाये तो पटवारी साहेब ने नपती के नाम से 1000/- रुपये फिस ली तथा मैंने रजिस्ट्री कराने के बाद सारा काम रिकोर्ड में इन्द्राज म्युटेशन का कहा तो पटवारी साहेब 10,000/-रु. कि मांग कि तथा कहा की मैं सारा काम करा दूंगा तब मेरे से पटवारी साहेब में लिए तथा रजिस्ट्री के बाद मैंने उन्हें म्युटेशन का कहा तो अब म्युटेशन के लिए 3,000 रुपये और मांग रहे हैं और कहते हैं कि 3000/- रु. ले के आये तब ही तुम्हारे नाम से म्युटेशन होगा। मेरा पटवारी साहेब से कोरे लेन-देन बाकी नहीं है। मैं पटवारी साहेब को म्युटेशन के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं।

दिनांक 29.01.2022 शनिवार

प्रार्थी

सही/-

दिनेश चन्द्र यादव पिता श्री कोदरलाल यादव
नि. दवेला(दौलतपुरा) ते. अरथुना जिल बांसवाडा
मो. 9586465350

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.01.2022 समय 03.30 पीएम

इस समय परिवादी श्री दिनेशचन्द्र पुत्र श्री कोदर लाल यादव उम्र 34 वर्ष निवासी दवेला(दौलतपुरा) तहसील अरथुना जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर हाजिर आया। परिवादी श्री दिनेशचन्द्र ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना में स्थित खाता संख्या नई 219 पुरानी 181 के आराजी सर्व नम्बर 3194 रकबा 0.15 हैक्टर में से 0.07 हैक्टर कृषि भुमि क्य की जाकर दिनांक 08.07.2021 को मेरी पत्नि श्रीमती कोकिला देवी के नाम उप पंजीयन अरथुना से जिला बांसवाडा से पंजीयन कराया गया। उक्त भुमि के संबंध में विकेता के नाम से कृषि भुमि है या नहीं एवं भुमि की नपती के लिये पटवारी श्री नगेन्द्र से सम्पर्क किया तो पटवारी साहब ने 1000 रुपये भुमि की नपती करने के लिये एवं रजिस्ट्री के बाद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर म्युटेशन खोलने के लिये 10,000 रुपये ले लिये। रजिस्ट्री होने के बाद मैं रोजगार के लिये अहमदाबाद(गुजरात) चला गया तथा म्युटेशन के लिये मेरे पिताजी श्री कोदर लालजी पटवारी साहब के पास गये तो उन्होंने म्युटेशन के लिये 3000 रुपये रिश्वत की मांग की गई है। इसके बाद मैंने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान म्युटेशन हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद भी म्युटेशन नहीं खोला गया। मैं आज दिनांक 29.01.2022 को पटवारी साहब से मिला और म्युटेशन खोलने हेतु प्रार्थना पत्र एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति दी गई तो पटवारी साहब ने आज भी म्युटेशन हेतु 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं पटवारी साहब को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। पुछताछ पर यह भी बताया कि मेरी पटवारी साहब से कोई उधारी, लेन देन बाकियात नहीं है ना ही किसी प्रकार की कोई आपसी रंजीश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला ट्रैप कार्यवाही का पाया जाने पर परिवादी को ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया भलीभांती समझायी गई। कार्यलय में रखा डिजीटल ट्रैप रिकार्डर निकलवाया जाकर उसके संचालन की विधि पूर्णतया परिवादी को समझाई गई तथा श्री राजेश कानि. को मेरे कार्यलय कक्ष में तलब कर परिवादी एवं श्री राजेश कानि. का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी ने बताया कि आज दिनांक 29.01.2022 को शनिवार का अवकाश होने से पटवारी साहब पटवार मण्डल या तहसील कार्यलय में उपस्थित नहीं मिलेंगे। दिनांक 31.01.2022 को पटवारी साहब पटवार मण्डल या तहसील अरथुना पर मिलेंगे। परिवादी को दिनांक 31.01.2022 को तहसील अरथुना के आस पास मिलने हेतु मुनासिब हिदायत की गई तथा श्री राजेश कानि. को निर्देशित किया गया कि दिनांक 31.01.2022 को परिवादी से सम्पर्क नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करायें। परिवादी श्री दिनेशचन्द्र को रुखसत किया गया। दिनांक 31.01.2022 समय 08.30 एएम पर श्री राजेश कुमार कानि. को मय डिजीटल ट्रैप रिकार्डर ब्यूरो इकाई बांसवाडा से अरथुना जिला बांसवाडा के लिए रवाना किया गया। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री दिनेशचन्द्र एवं श्री राजेश कुमार कानि. द्वारा डिजीटल ट्रैप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा

म्यु

समय करीब 11.00 एएम पर अरथुना पहुंचा जहां परिवादी श्री दिनेशचन्द्र उपस्थित मिला। परिवादी को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर 'उसके संचालन की विधि समझाई गयी तथा परिवादी ने अपने मोबाइल से आरोपी पटवारी के मोबाइल पर समय करीब 11.30 एएम पर वार्ता की गई तो आरोपी ने करीब 30 मिनट बाद पुनः फोन कर तहसील के पास मिलने हेतु कहा गया तथा समय करीब 12.10 पीएम पर जरिये मोबाइल जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत के तहसील के लिये रवाना कर मैं तहसील के आस पास अपनी उपस्थित छुपकर मुकिम रहा। करीब 5 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और डिजीटल टेप रिकोर्डर बंद कर मुझे सुपूर्द कर बताया कि पटवारी साहब तहसील के बाहर मिले जिन्होंने पूर्व में 1000 एवं 10,000 रुपये रिश्वत के ग्रहण करने बाबत वार्तालाप करते हुए भुमि के म्युटेशन खोलने के लिये 3000 रुपये आज ही मांग की गई है। परिवादी ने भी श्री राजेश कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद की गई। डिजीटल टेप रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि कल दिनांक 01.02.2022 तक देने हेतु मैंने पटवारी साहब को कहा है, जिस पर परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3000 रुपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 01.02.2022 को प्रातः 08.30 एएम पर उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत कर रखस्त किया गया और डिजीटल टेप रिकोर्डर सुरक्षित मालखाने में रखा गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये दूरभाष श्रीमान निदेशक कृषि विस्तार विभाग जिला बांसवाडा को गोपनीय राजकार्य में दिनांक 01.02.2022 को प्रातः 08.30 बजे ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर पांबद कर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 01.02.2022 समय 08.30 एएम पर परिवादी श्री दिनेश चन्द्र ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया और बताया कि रिश्वत राशि 3000 रुपये की व्यवस्था हो गई है जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूं। परिवादी को सुरक्षित कमरे में दैठाया गया। समय 09.00 एएम पर तलबिदाशुदा गवाह श्री दिनेशचन्द्र पिता श्री अम्बालाल पंचाल जाति पंचाल निवारी मकान नम्बर 283 भारत नगर पिपलोद थाना कोतवाली जिला बांसवाडा हाल कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार बांसवाडा व श्री देवेश पंचाल पिता श्री अशोक कुमार पंचाल जाति पंचाल निवारी गांव खमेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार बांसवाडा ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित आये। समय 09.05 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश पंचाल व श्री देवेश पंचाल को ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी—अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी को तलब कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश चन्द्र का आपस में परिचय करवाया गया तथा दिनांक 29.01.2022 को परिवादी की पेश रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री दिनेश चन्द्र ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र अपने खुद कलमी लिखा होना बताया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकोर्डर में दिनांक 31.01.2022 को परिवादी श्री दिनेश चन्द्र व आरोपी श्री नगेन्द्र के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड हैं को मालखाने से निकाल कर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीड़ीयां तैयार कराई गई। मूल सीड़ी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री राजेश कुमार कानि० से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीड़ी को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीड़ी को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 10.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नगेन्द्र पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री दिनेश चन्द्र से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500—500 रुपये के 06 नोट कुल 3000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैं :—

1	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7LQ	754717
2	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9HV	683471
3	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8EC	541734
4	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0TC	506004
5	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5GG	014470
6	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5KC	524405

मालखाने से फिनोफथलीन की शिशी श्री गणेशप्रसाद हैड० कानि० के निकलवाई जाकर फिनोफथलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री दिनेशचन्द्र की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री माजिद कानि० से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चमच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड० कानि० की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को ढुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफथलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती

राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानिं0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानिं0 एवं श्री माजिद कानिं0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति० पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री माजिद कानिं0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रैप बाक्स में रखवाये गये। ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान् तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 10.45 एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द्र को आरोपी श्री नगेन्द्र पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेन-देन वक्त होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु मिनी डिजीटल टेप रिकोर्डर उसके संचालन की विधि समझायी जाकर जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 10.55 एम पर मन् अति० पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान् श्री दिनेश पंचाल, श्री देवेश पंचाल, ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि०, श्री राजेश कुमार कानिं0, श्री जितेन्द्ररिंह कानि० चालक मय ट्रैप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक व श्री पंकज कुमार कानि० व परिवादी श्री दिनेश चन्द्र को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरों इकाई बांसवाडा से अरथुना जिला बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 11.55 एम पर मन् अति० पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान् व ब्यूरो जाप्ता व परिवादी के अपने-अपने वाहनों से अरथुना बस रेस्टेण्ड के पास पहुंच कर परिवादी के मोबाईल से आरोपी पटवारी के मोबाईल पर वार्ता कराई गई तो आरोपी पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय अरथुना के पास मिलने हेतु कहा गया। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री दिनेश चन्द्र को मुनासिब हिदायत के उसकी निजी मोटर साईकल से तहसील अरथुना के लिये रवाना किया तथा मन् अति० पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयानों के प्राईवेट वाहन मय चालक के अरथुना बस रेस्टेण्ड से तहसील अरथुना के लिये परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर तहसील अरथुना के पास पहुंच कर प्राईवेट वाहन को रोड से साईड में खड़ा कर कार्यालय के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। समय 12.25 पीएम पर परिवादी श्री दिनेश चन्द्र ने तहसील कार्यालय अरथुना के बाहर बने टिनशेड वाहन पार्किंग के पास खड़े होकर एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूर्व निर्धारित इशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान् श्री दिनेश पंचाल व श्री देवेश पंचाल मय ट्रैप पार्टी के सदस्यगणों के तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे और परिवादी से डिजीटल टेप रिकोर्डर बंद हालत में प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि यही श्री नगेन्द्र जी पटवारी साहब है जिन्होंने अभी-अभी मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत राशि अपने दायेहाथ से ग्रहण कर दोनों हाथों से गिनकर पहने हुए पेन्ट की दाहिने जेब में रख लिये हैं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयानों का परिचय देते हुए उस व्यक्ति का नाम, पता व पदनाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम नागेन्द्र लाल पिता श्री वासुदेव खांट निवासी हेरपाडा पोर्ट ओडवाडा तहसील अरथुना हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा का होना बताया तथा श्री नागेन्द्र लाल पटवारी को पूछा गया कि अभी-अभी आपने परिवादी श्री दिनेश चन्द्र से 3,000 रुपये किस बात ग्रहण किये हैं बाबत् पूछा तो श्री नागेन्द्र लाल पटवारी ने बताया कि मुझे अभी जबरदस्ती दिये जो मैंने अपनी पेन्ट की जेब में रख लिये। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री दिनेश चन्द्र ने बताया कि पटवारी साहब झूठ बोल रहे हैं इन्होंने मेरे द्वारा ग्राम केरापुरा में रिस्त रुपये भुग्तान देवी के नाम से पंजीयन कराया गया। उक्त भुग्तान के नपती एवं पंजीयन के बाद राजस्व रिकोर्ड इन्द्राज कर म्यूटेशन खोलने के एवज में पूर्व में 11,000 रुपये मांगकर ग्रहण कर लिये इसके बाद भी मेरी भुग्तान का म्यूटेशन नहीं खोला तथा म्यूटेशन हेतु प्रशासन गांव के संग अभियान में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाद भी म्यूटेशन खोलने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है तथा दिनांक 29.01.2022 को भी तहसीलदार अरथुना के नाम से प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री की छायाप्रति पटवारी साहब को दी तो उन्होंने अपने पास रख ली और म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु 3000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। उनकी मांग अनुसार आज मैंने 3000 रुपये रिश्वत के दिये जो उन्होंने अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर दोनों हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे हैं। परिवादी ने यह भी बताया कि अभी तहसील में पटवारी साहब से जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि देने के लिये आया तो पटवारी साहब तहसील के बाहर ही मिल गये जिस कारण हड बड़ाहट में डिजीटल टेप रिकोर्डर को चालू नहीं कर पाया जिस कारण अभी रिश्वत लेन देन वार्ता रिकोर्ड नहीं हुई है। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के बारे में श्री नागेन्द्र लाल पटवारी से पूछताछ की गई तो पटवारी एक दम चुप हो गया और हाथा जोड़ी करने लगा और कहने लगा मैं गरीब आदमी हूं माफ कर दो। मन् अति० पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री दिनेश पंचाल द्वारा आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो जंब से सिगटे हुये 500-500 रुपये के 06 नोट कुल 3000

रुपये रुपये पाये गये। उक्त नोटों का नंबर का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनॉफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट से कराया गया तो हु—ब—हू हुआ जो निम्नानुसार हैं—

1	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7LQ	754717
2	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9HV	683471
3	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8EC	541734
4	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0TC	506004
5	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5GG	014470
6	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5KC	524405

प्रकरण में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की लिखा पढ़ी हेतु हमराह लेकर तहसील कार्यालय अरथुना पहुंचे जहां पर श्री उज्जवल जैन नायब तहसीलदार व अन्य स्टाप उपरिथित मिला। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए श्री उज्जवल जैन नायब तहसीलदार को श्री नागेन्द्र लाल पटवारी के विरुद्ध की गई ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए अग्रिम लिखा पढ़ी हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया जो नायब तहसीलदार द्वारा एक सुरक्षित कमरा उपलब्ध कराया गया। उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये को वजह सबुत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर रिश्वत राशि को एक कागज की चीट बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट किये गये। प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बाक्स को श्री राजेश कुमार कानिंग से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में तहसील कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक—एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक रंगहीन घोल में आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भरवाया जाकर रीलचीट बंद करा मार्क आर. एच.—1, आर.एच.—2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल में आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भरवाया जाकर रीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.—1, एल.एच.—2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी के द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में रखे हुये बरामद हुए हैं। अतः पेन्ट की दाहिनी जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक है, श्री उज्जवल जैन नायब तहसीलदार को आरोपी के पहनने हेतु एक पेन्ट उपलब्ध कराने हेतु कहा जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा एक लोवर उपलब्ध कराया गया। आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी की पहनी हुई पेन्ट को सासमान उत्तरवाई जाकर लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानिंग से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में पेन्ट की दाहिनी जैब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भरवाया जाकर रीलचीट बंद करा मार्क पी—1 एवं पी—2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन्ट को सुखाकर जैब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट का रंग हल्का रस्लीटी है, जिसे एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर रीलचीट किया जाकर मार्क पी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये आरोपी श्री नागेन्द्र लाल के दोनों हाथों के धोवन, पेन्ट की जैब के धोवन, रिश्वत राशि 3000 रुपये व पेन्ट के पेकेट को सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखवाया जाकर श्री राजेश कानिंग को सुपुर्द किया गया। मन् अति० पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी से परिवादी द्वारा दिनांक 29.01.2022 को भुमि के म्युटेशन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री की छायाप्रति के बारे में पूछा गया तो आरोपी पटवारी द्वारा कंधे पर लटके बेग से परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति नियालकर दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति पर दोनों रवतंत्र गवाहानो, परिवादी व आरोपी पटवारी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया। मौके पर उपरिथित श्री उज्जवल जैन नायब तहसीलदार से नियमानुसार म्युटेशन खोलने हेतु राजकीय राशि के बारे में पूछा गया तो नायब तहसीलदार ने बताया कि किसी भी कृषि भुमि का विक्य विलेख होने के बाद केता द्वारा भुमि की रजिस्ट्री की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय या संबंधित हल्का पटवारी को प्रस्तुत करने के बाद संबंधित से नियमानुसार म्युटेशन शुल्क 20 रुपये वसूल कर उसका इन्द्राज ढालबांछ में अगले वित्तिय वर्ष में मांग कायम कर प्रार्थी से म्युटेशन शुल्क वसूल की जाकर संबंधित को म्युटेशन की प्रति उपलब्ध कराई जाती है, अगर श्री नागेन्द्र लाल पटवारी द्वारा प्रार्थी श्री दिनेश चन्द्र से 20 रुपये म्युटेशन शुल्क व शारती शुल्क 10 रुपये से अधिक राशि 3,000 रुपये ग्रहण किये हैं तो वह अवैध होकर रिश्वत राशि है। आरोपी पटवारी का मूल गांव हेरपाडा पोस्ट ओडवाडा तहसील अरथुना है परन्तु वह अपने परिवार सहित करबा परतापुर में किराये के मकान में निवास करता है, जो आईन्दा परतापुर पहुंच कर खाना तलाशी पृथक रोली जावेगी। ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष अर्ज किये गये। समय 02.30 पीएम पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल नवक्षा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.45 पीएम पर आरोपी श्री नागेन्द्र लाल खांट पटवारी को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एकट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान 2,260 रुपये

नगद एवं एक वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम कार्ड मिले। आरोपी के मोबाईल को चालू कर सोशल मीडिया को चैक किया गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य किसी प्रकार की वॉट्स अप चेट या अन्य कोई भी रिश्वत मांगने बाबत् तथ्य नहीं पाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी व आरोपी के मध्य केवल मिलने हेतु सामान्य वार्तालाप की गई है जिस कारण मोबाईल को बजह सबुत जप्त करने का कोई औचित्य नहीं है तथा 2,260 रुपये नगद भी आरोपी द्वारा अपनी सेलेरी से प्राप्त आय से घरेलु खर्च हेतु अपने पास नगद रखना बताया गया है। जामा तलाशी के दौरान मिला मोबाईल फोन मय दो सिम कार्ड एवं 2,260 रुपये नगद राशि आरोपी के कहे अनुसार श्री उज्जवल जैन नायब तहसीलदार को सुपूर्द किये गये। समय 03.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश पंचाल, श्री देवेश पंचाल ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री माजिद खान कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री पंकज कुमार कानि. मय आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी व जप्त शुदा रिश्वत राशि 3,000 रुपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क कमश आर.एच.-1 व 2, एल.एच.-1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जेब का धोवन पी-1 व पी-2 तथा सीलचीट पेन्ट का पेकेट मार्क पी इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के तहसील कार्यालय अरथुना से आरोपी पटवारी के किराये के मकान करबा परतापुर की खाना तलाशी के लिए रवाना हुए तथा परिवादी श्री दिनेश चन्द्र को मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया। समय 03.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश पंचाल, श्री देवेश पंचाल व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेशकुमार कानि०, श्री माजिद खान कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री पंकज कुमार कानि. मय आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी व जप्त शुदा रिश्वत राशि 3,000 रुपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क कमश आर.एच.-1 व 2, एल.एच.-1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जेब का धोवन मार्क पी-1 व पी-2 तथा सीलचीट पेन्ट का पेकेट मार्क पी इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के पुलिस थाना गढ़ी पहुंच कर महिला कानि. श्रीमती चम्पा नम्बर 807 को हमराह लेकर करबा परतापुर रिथ्त आरोपी पटवारी के किराये के मकान पहुंचे जहां आरोपी पटवारी के मकान की खाना तलाशी प्रारम्भ की जाकर फर्द मूर्तिब की गई। समय 04.45 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश पंचाल, श्री देवेश पंचाल व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेशकुमार कानि०, श्री माजिद खान कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री पंकज कुमार कानि. मय आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी व जप्त शुदा रिश्वत राशि 3,000 रुपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क कमश आर.एच.-1 व 2, एल.एच.-1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जेब का धोवन मार्क पी-1 व पी-2 तथा सीलचीट पेन्ट का पेकेट मार्क पी इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के करबा परतापुर रिथ्त आरोपी पटवारी के किराये के मकान की खाना तलाशी के बाद करबा परतापुर से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमती चम्पा महिला कानि. को मुनासिब हिदायत के पुलिस थाना गढ़ी के रुखसत किया गया। समय 06.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश पंचाल, श्री देवेश पंचाल व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेशकुमार कानि०, श्री माजिद खान कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री पंकज कुमार कानि. मय आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी व जप्त शुदा रिश्वत राशि 3,000 रुपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क कमश आर.एच.-1 व 2, एल.एच.-1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जेब का धोवन मार्क पी-1 व पी-2 तथा सीलचीट पेन्ट का पेकेट मार्क पी इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के करबा परतापुर से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहुंचा। समय 06.30 पीएम पर प्रकरण में जप्त शुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क कमश. आर.एच.-1 व 2, एल.एच.-1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जेब का धोवन पी-1 व पी-2 तथा सीलचीट पेन्ट का पेकेट मार्क पी, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की मूल सीड़ी एवं डब सीड़ी इत्यादि को मालखाने के रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर श्री राजेश कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराया गया। आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी के आवाज का नमूना हेतु नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी। स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश पंचाल व श्री देवेश पंचाल को मुनासिब हिदायत के रुखसत किये गये। समय 07.00 पीएम पर आरोपी श्री नागेन्द्र लाल खांट पटवारी का मेडिकल ज्युरिस्टर से रवास्थ परीक्षण कराने हेतु आरोपी के हमराह श्री गणेशप्रसाद हैड कानि. भय रारकारी बोलेरो व चालक के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री गणेशप्रसाद हैड कानि. द्वारा आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी के पुलिस थाना कोतवाली बन्द हवालात की मुल्जिम जमा प्राप्ति रसीद एवं रोजनामचा आम की रपट की प्रति प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में आज दिनांक 02.02.2022 को आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी पटवार हल्का केरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त किया जाकर आरोपी पटवारी का राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा से कोरोना टेरेट कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दरखास्त मोहलत के साथ न्यायिक अभिरक्षा भेजने हेतु पेश किया जाकर माननीय न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द द्रांसक्लिष्णन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री नागेन्द्र लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द्र यादव ने कृषि भुमि खाता संख्या नई 219 पुरानी 181 के आराजी सर्व नम्बर 3194 रकबा 0.15 हेक्टर में से रकबा 0.07 हेक्टर कृषि भुमि वाके केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा को क्य कर उसका पंजीयन दिनांक 08.07.2021 को उसकी पत्नि श्रीमती कोकिला देवी के नाम से कराया गया। उक्त भुमि का मौका मुआयना कर नपती करने एवं म्युटेशन खोलने के एवज में पूर्व में 11000 रुपये ग्रहण करना एवं 3000 रुपये रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 31.01.2022 को सत्यापन कराया गया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 01.02.2022 को आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पटवारी को परिवादी श्री दिनेश चन्द्र से रिश्वत राशि 3 हजार रुपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री नागेन्द्र लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाड के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री नागेन्द्र लाल पिता श्री वासुदेव खांट जाति भील उम्र 37 वर्ष निवारी हेरपाडा पोस्ट ओडवाडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल पटवारी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजरथान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,


 (माध्यरिंह)
 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
 भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री नागेन्द्र लाल, पटवारी, पटवार हल्का केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 29/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

लौ 2/2/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 282-86 दिनांक 02.2.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

लौ 2/2/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।